

स्पीड पोस्ट

आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-305/16 श्र0सं0 82

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार।

सेवा में,

सहायक श्रमायुक्त सारण(छपरा)।
श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर-01/सीतामढ़ी-01/सीवान॥

पटना, दिनांक :- 4/10/16

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-माँग सं०-26-उप शीर्ष-0104-बाल श्रमिक तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-पी० 2230017890104) के अन्तर्गत निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2239 दिनांक 20.5.16 के आलोक में बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत विमुक्त कराये गये/कराये जानेवाले बाल श्रमिकों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय के निमित्त ₹ 3000/- प्रति बाल श्रमिक की दर से सभी 05 बाल श्रमिकों के लिए कुल ₹ 15,000 (₹ पन्द्रह हजार) मात्र निधि का आवंटन संलग्न विवरणी के अनुसार किया जाता है।


2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.03.16, पत्रांक-4572/वि० दिनांक-03.06.2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।

3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा।

4. आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में ससमय उपलब्ध करा दी जाय।

5. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।

विश्वासभाजन,



(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-305/2016 श्र0सं0- 82

पटना, दिनांक 4.10.16

प्रतिलिपि- अनुलग्नक सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

*स्पीड
पोस्ट


ज्ञापांक:-6/एफ1-305/2016 श्र0सं0-

82

पटना, दिनांक 4.10.16

प्रतिलिपि- अनुलग्नक सहित प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त /संबंधित जिला पदाधिकारी /*संबंधित कोषागार /उप कोषागार पदाधिकारी /प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /सहायक श्रमायुक्त (शोध) एवं प्रशाखा-01 को उनके गै०सं०प्रे०सं०-271 एवं 295 (श्रम पक्ष) क्रमशः दि.-30.08.16 एवं 27.09.16 के आलोक में/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना /प्रशाखा-6, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा, प्रशाखा-06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण पत्र का संभारण संबंधित शाखा प्रशाखा-01 द्वारा किया जायेगा।


(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2239 दिनांक 20.5.16 के आलोक में मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-माँग सं०-26-उप शीर्ष-0104-बाल श्रमिक तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-पी० 2230017890104) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय के निमित्त निधि का समेकित आवंटन की विवरणी-

| क्र० सं० | कार्यालय का नाम | वर्च की संख्या | सामग्री एवं पूर्तियाँ (21-01) ₹ 2300/- राशन एवं ₹ 500/-वस्त्र प्रति बाल श्रमिक की दर से | दवा भण्डार इकाई (21 02) विमुक्ति के समय दवा हेतु - ₹ 100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से | आहार/पथ्य (21 03) विमुक्ति के समय भोजन /नास्ता हेतु ₹ 100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से | कुल योग | अभ्युक्ति |
|----------|-----------------------------|----------------|---|--|---|---------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | सहायक श्रमायुक्त सारण(छपरा) | 01 | 2800 | 100 | 100 | 3000 | श्रम अधीक्षक, सारण(छपरा) के पत्रांक- 526 दि.-01. 09.16 के आलोक में । |
| 2 | श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर-01 | 02 | 5600 | 200 | 200 | 6000 | श्रम अधी०,समस्तीपुर के पत्रांक 840 दिनांक-22.08. 16 के आलोक में (19.08. 16 को विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए) |
| 3 | श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी-01 | 01 | 2800 | 100 | 100 | 3000 | श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी के पत्रांक-982 दि.-17.09. 2016 के आलोक में। |
| 4 | श्रम अधीक्षक, सीवान-01 | 01 | 2800 | 100 | 100 | 3000 | श्रम अधीक्षक, सीवान के पत्रांक-469 दि.- 03.09. 2016 के आलोक में। |
| कुल योग | | 05 | 14000 | 500 | 500 | 15000 | |

कुल आवंटित राशि ₹ 15,000 (₹ पन्द्रह हजार) मात्र ।

30/09/16
(गोपाल मोणा)
श्रमायुक्त, विहार।